न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 20/2013 (223 आर. टी. एक्ट)

आरसीएमएस संख्या :– 2013/00018

उनवान

1. बाबू खॉ पुत्र उम्मेद जाति तेली निवासी अलीपुर तहसील वैर जिला भरतपुर(मृतक)
   1/1. आसीन
   1/2. उसमान
   1/3. रफीक
   1/4. मु0 मुबीना पुत्री बाबू खॉ जाति तेली मुसलमान निवासी अलीपुर तहसील वैर।
   1/5. मु0 ननिगी वेवा बाबू खॉ जाति तेली मुसलमान निवासी अलीपुर तहसील वैर।
2. कमरू } पुत्र उम्मेद जाति तेली निवासी अलीपुर तहसील वैर जिला भरतपुर।
3. उमरदीन }

.....अपीलांट।

बनाम

1. नत्थी आयु 70 वर्ष पुत्र जुम्मा जाति तेली निवासी अलीपुर तहसील वैर जिला भरतपुर(मृतक)
   1/1. मु0 मांगो वेवा नत्थी जाति मुसलमान निवासी अलीपुर(मृतक)
   1/2. बसीर
   1/3. सलीम
   1/4. सफी
   1/5. दौलत
   1/6. मु0 जातन पुत्री नत्थी पति सुगर जाति मुसलमान नि0 खेडा लाठकी तह0कठूमर, अलवर।
   1/7. सकूर पुत्री नत्थी पत्नि बाबू साकिन लाठका कठूमर जिला अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार वैर।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0अधि0 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, वैर दि0 22.09.2004 प्र.सं. 67/04 उनवानी नत्थी बनाम बाबू खॉ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री अर्जुन सिंह उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 07.09.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.2004 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 ने एक दावा अन्तर्गत धारा

88, 89, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 35 रकवा 07 बीघा 11 विस्वा, 38 रकवा 05 बीघा 12 विस्वा, 489 रकवा 04 बीघा 01 विस्वा, 486 रकवा 01 बीघा 07 विस्वा वाके ग्राम अलीपुर तहसील वैर में वादी/रैस्पो0 वहैसियत खातेदार काश्तकार, 20 वर्षो से अपने पिताजी के जीवनकाल से काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा खसरा नम्बर 91 रकवा 06 बीघा 04 विस्वा, 92 रकवा 07 बीघा 13 विस्वा, 94 रकवा 02 बीघा 13 विस्वा, 103 रकवा 02 बीघा 06 विस्वा, किता 4 रकवा 18 बीघा 16 विस्वा कें 1/4 हिस्सा पर प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट वाहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज चले आ रहे हैं। विवादित आराजी में उक्त हिस्से, पक्षकारों को पारिवारिक विभाजन के मुताबिक अपने पिता के जीवनकाल से उनके हिस्से व कब्जे में आई हुई है। वादी/रैस्पो0 ने अपने हिस्से की आराजी खसरा नम्बर 35, 38, 489, 486 को अधिक उपजाऊ व कृषि योग्य बना लिया है तथा खसरा नम्बर 35 में एक कूँआ चाह का निर्माण किया हुआ है तथा उक्त चाह से वह अपनी उपरोक्त भूमि को सिंचित करता है। प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट का उक्त आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। किन्तु प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट, सशक्त व चालाक किस्म के लोग हैं, वादी/रैस्पो0 की अधिक उपजाऊ भूमि को देखकर उनके मन में बदयान्ति आ गई है। जिसके तहत प्रतिवादीगण के पिता उम्मेद ने विवादित आराजी में गलत व गैर कानूनी तरीके से उक्त आराजी में अपना हिस्सा डलवाकर खातेदारी प्राप्त कर ली। उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट, वादी/रैस्पो0 को विवादित आराजी से बेदखली करने की धमकी देते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी का विभाजन करते हुए, वादी/रैस्पो0 के उक्त आराजी में निहित अपने खातेदारी के अधिकारो की घोषणा कराने एवं प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट द्वारा अपील इस न्यायालय में पेश की गयी, जो दिनांक 02.06.2006 से स्वीकार हुई। न्यायालय हाजा के उक्त निर्णय के विरूद्ध रैस्पो0/वादीगण ने द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में प्रस्तुत की गयी। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने उक्त अपील दिनांक 22.10.2013 से स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय को पुनः तनकीवार निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की गयी।

2. माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर से पत्रावली प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बाबजूद सूचना अनुपस्थित हैं, उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य का सही विश्लेषण नही कर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 का निर्णय खिलाफ कानून व मौका अपीलाण्ट के विरूद्ध तय की है। प्रश्नगत आराजी में अपीलाण्ट के पिता उम्मेदी खसरा नम्बर 35 व 38 में सवंत 2010 से 2013 में निस्फ हिस्से के बतौर मौरूसी एवं बाकी निस्फ हिस्से पर अपीलाण्ट के बाबा जुम्मा बल्द नन्दा मौरोसी दर्ज रहे हैं। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानने में भारी भूल की है कि विवादित आरजाी जुम्मा बल्द नन्दा की खातेदारी की आराजी रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने रैस्पो0 के दावे की पिलीडिंग पर कतई ध्यान नहीं दिया है क्योंकि रैस्पो0 ने अपने दावे में विवादित आराजी को पैतृक आराजी होना अंकित ही नहीं किया है एवं ना ही अपने पिता की खातेदारी की आराजी होना अंकित किया है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य की ओर कोई ध्यान ना देते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जबकि रैस्पो0 का दावा खारिज होने योग्य था। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट काश्त कर रहे हैं एंव विवादित आराजी संवत 2010 से अपीलाण्ट के पिता के हिस्से में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने वक्त निर्णय खेवट खतौनी संवत 1998 का जिक्र किया है किन्तु उक्त खेवट खतौनी अधीनस्थ न्यायालय मे प्रदर्श ही नहीं हुई है। विधि अनुसार बहस के बाद और निर्णय से पहले कोई दस्तावेज नहीं दिया जा सकता है और दिया भी जाता है तो उसे वेस्ट पेपर माना जावेगा। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1988 पेज 143 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु, दस तनकियॉ कायम की गयी है। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

5. <u>तनकी संख्या 01</u> **"आया वादी आराजी खसरा नम्बर 35, 38, 486, 489 का सम्पूर्ण भाग का खातेदार काश्तकार व काबिज आराजी है"** अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकी जाहिर तौर पर नकल खेवट खतौनी संवत 1998 में विवादित आराजी जुम्मा के नाम खातेदारी में दर्ज होने के आधार पर, जुम्मा के दोनों पुत्र नत्थी व उम्मेद (वादी–प्रतिवादी) को विवादित आराजी खसरा नम्बर 35, 38, 486, 489 का वाहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया गया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त खेवट खतौनी संवत 1998 ना तो प्रदर्श की है एवं ना ही उक्त खेवट खतौनी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ही उपलब्ध है। इसके अलावा नकल जमाबन्दी संवत 2006 में विवादित खसरा नम्बर खुदकाश्त दौजी मजकूर की विस्वेदारी में दर्ज है, किन्तु दौजी का जुम्मा से सम्बन्ध अस्पष्ट है। संवत 2010–13 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय, विवादित आराजी जुम्मा वल्द नन्दा व उम्मेद वल्द जुम्मा कौम तेली वाहिस्सा बराबर सा0 देह मोरोसी व काश्त उम्मेद दर्ज रिकार्ड है। उक्त जमाबन्दी संवत 2010 लगायत 2013 के अंकन अनुसार जुम्मा की मृत्यु उपरान्त, विवादित आराजी में उनके निहित 1/2 हिस्से के आधार पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रैस्पो0/वादी का विवादित आराजी में 1/4 हिस्सा व अपीलाण्ट/प्रतिवादी का उनके निहित हिस्से 1/2 एवं विरासत का 1/4 हिस्सा जोडते हुए 3/4 हिस्सा हो सकता है; परन्तु वर्तमान राजस्व अभिलेख में रैस्पो0/वादी का 1/3 हिस्सा व अपीलाण्ट/प्रतिवादी का 2/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त विवेचना अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन कैसे परिवर्तित हुए ? इस बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है एवं ना ही अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य का परीक्षण ही किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का इस प्रकार अपर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निकालें गये तनकी निष्कर्ष स्थिर रहने लायक नहीं माने जा सकते। हम उभयपक्ष को इस तनकी को सिद्ध करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य का मौका दिया जाना आवश्यक समझते हैं।

6. तनकी संख्या 02, 06, 08, 10, अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 के निष्कर्ष अनुरूप निर्णित की है। परन्तु उपरोक्त विवेचनानुसार तनकी संख्या 1 के; अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय अपरिपक्व पाये गये हैं। अतः तनकी संख्या 02, 06, 08, 10 को भी पुनः विनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।

7. तनकी संख्या 03 **"आया आराजी खसरा नम्बर 35 में कोई कूँआ बीसियों वर्ष पूर्व का बना हुआ है तथा वादी का इंजन रखा हुआ है"** अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी मौखिक साक्ष्य के आधार पर पक्षकारान् के बीच बाहमी बॅटवारा मानते हुए, वहक वादी/रैस्पो0 विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट तय की है। चूंकि वादी/रैस्पो0 द्वारा कथित बाहमी विभाजन बाबत् कोई प्रमाणित साक्ष्य पेश नहीं किया है। अतः तनकी संख्या 03 के निष्कर्ष अतिरिक्त साक्ष्य परीक्षण के मोहताज हैं।

8. तनकी संख्या 04 **"आया वाद में राजस्थान सरकार को पक्षकार नहीं बनाने के कारण विभाजन का वाद चलने योग्य नहीं है"** राज्य सरकार को फरीक मुकदमा बनाया जा चुका है। अतः तनकी निष्प्रभावी हो गयी है।

9. तनकी संख्या 05 **"आया प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व वाद 59/89 उम्मेद बनाम नत्थी को नोटप्रेस में खारिज कराने से वादी के वादग्रस्त आराजी में निहित अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं"** अधीनस्थ न्यायालय की इस तनकी विवेचना में हम कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

10. तनकी संख्या 07 **"आया खसरा नम्बर 91 रकवा 06 बीघा 04 विस्वा, 92 रकवा 07 बीघा 13 विस्वा, 94 रकवा 02 बीघा 13 विस्वा, 103 रकवा 02 बीघा 06 विस्वा किता 05 रकवा 18 बीघा 16 विस्वा में 1/8 भाग का तथा 1/8 भाग का प्रतिवादी संख्या 01 तथा 1/2 भाग के मंगती व बालू पुत्रान खैराती तथा 1/8 भाग का कम्पूरी पुत्री कलुआ व 1/8 भाग के पप्पू व दयाराम, विक्रम पिसरान घमण्डी खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी हैं"** इस तनकी बाबत् कोई गम्भीर विवाद नहीं है। उक्त तनकी राजस्व रिकार्ड पर आधारित है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी संवत 2051–55

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के आधार पर सम्यक विवेचना कर वहक वादी पाया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता हम नहीं पाते हैं।

11. <u>तनकी संख्या 09</u> **"आया वाद में अन्य सह खातेदारान मंगती, बालू, पप्पू, दयाराम व विक्रम को फरीके मुकदमा नहीं बनाने के कारण वाद चलने योग्य नहीं है"** अधीनस्थ न्यायालय की इस तनकी विवेचना से हम आंशिक सहमत हैं। अधीनस्थ न्ययालय ने इस कारण वादी/रैस्पो0 को विभाजन की दादरसी नहीं दी है। पक्षकारो को वाद में पक्षकार संयोजन/वाद संशोधन का अवसर उपलब्ध कराते हुए, तनकी पुनः विनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।

12. **अनुतोष** :– सभी तनकियात का निस्तारण किया जा चुका है। उपरोक्त तनकी विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय के तनकी निष्कर्ष उचित नहीं पाये गये हैं। हमारी दृष्टि में अपीलाधीन आदेश अपरिक्व है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता। हमारी राय में उभयपक्ष को तथ्य स्पष्ट करने एवं अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

13. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी वैर के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.09.2004 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त वर्णित तथ्यों पर, उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देते हुए, पुनः विधि अनुरूप निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

14. पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

15. निर्णय आज दिनांक 07.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official